जीएसटी के लिए अधिसूचना

विषय : सामान एवं सेवा कर ('जीएसटी') के तहत रिकार्ड के लिए अपेक्षित विक्रेता विवरण

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 01 जुलाई 2017 से जीएसटी कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है तथा यह केवल कर सुधार नहीं है बल्कि यह अपने आप में पूरे बिज़नेस में सुधार है। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा सामान एवं सेवाओं के लिए वसूल किए जा रहे सभी अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर जीएसटी लागू किया जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि जीएसटी के आरंभ होने पर एक नई कर प्रणाली में हो रहे अंतरण हेतु हम सब निरंतर कार्य करें और इसके लिए तैयार रहें।

उक्त के दृष्टिगत, हमारे सभी बिज़नेस भागीदरों को सक्षम बनाने हेतु नीचे दिए गए आवश्यक कदम उठाने के लिए एडवांस में ही अवगत कराया जा रहा है। इससे सिस्टम में जीएसटी के लाभ जुड़ने सुनिश्चित हो पाएंगे तथा यह परिवर्तन बिना किसी अवरोध के कार्यान्वित हो सकेगा।

- सरकार से समय पर अनंतिम जीएसटी पहचान संख्या प्राप्त करना तथा इस संबंध में हमें अपडेट उपलब्ध कराना।
- अपेक्षित होने पर वर्तमान मूल्य निर्धारण पर कार्य करना, (आपके प्रापण तथा आउटपुट लेग में जीएसटी के कारण उत्पन्न लाभ को ध्यान में रखते हुए)
- लाइन लेवल में (इसमें लाइन लेवल का अर्थ है कि इनवॉयस में अलग एचएसएन/एसएसी कोड के लिए आ रहे प्रत्येक लाइन आइटम के लिए जीएसटी रिटर्न में रिपोर्टिंग) एचएसएन (नामावली अर्थात् उत्पाद शुल्क वर्गीकरण का समन्वित सिस्टम)/एसएसी कोड्स (सर्विस एकाउंटिंग कोड जो शीघ्र ही सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा) तथा कर सहित जीएसटी अनुरूप इनवॉयस कार्यान्वित करने के लिए व्यवस्था करना।
- इनपुट जीएसटी मिसमैच से बचने के लिए प्रक्रिया स्थापित करना।

- अपनी वित्त, कर, विक्रय तथा प्रापण टीम के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- अपने लेखांकन सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना सुनिश्चित करें जिससे जीएसटी के तहत रिटर्न फाइल करने के लिए अपेक्षित रिपोर्ट प्रदान की जा सके।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जीएसटी के तहत आ रहे करदाताओं को जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते समय इनवॉयस लेवल (अर्थात् ट्रांज़ेक्शन लेवल) के विवरण ऑनलाइन अपलोड करने अपेक्षित हैं। यह विवरण आपके ग्राहकों द्वारा अपलोड किए गए इनवॉयस लेवल विवरण के साथ स्वत: ही मिलान हो जाएंगें। तदनुसार सिस्टम करदाताओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता निर्धारित करेगा। जीएसटीएन विवरणों में किसी प्रकार का मेल न होने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के अस्वीकार होने की संभावना है जिससे खरीददार को अतिरिक्त कर लागत वहन करनी होगी। यह सिस्टम वर्तमान सिस्टम ट्रेसेस (अर्थात् आयकर कानून के तहत फार्म 26एएस) के अनुरूप है लेकिन यह रियल टाइम आधार पर (अर्थात् मासिक) कार्य करता है। कृपया नोट करें कि एअर इंडिया वेंडर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल तभी क्लेम कर पाएंगे जब वे ट्रांज़ेक्शनल लेवल सप्लाईज़ को उपयुक्त रूप से रिपोर्ट करते हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि एअर इंडिया तथा वेंडर्स के बीच ट्रांज़ेक्शन के लिए क्रेडिट चेन में कोई कड़ी न टूटे। जीएसटी में सहज अंतरण के लिए यह अनिवार्य है कि हमारे सभी वेंडर्स जीएसटी के लिए तैयार हों तथा जीएसटी के अनुरूप हों।

तथापि किसी प्रकार का अनुपालन न किए जाने पर, वेंडर्स को जीएसटी, इनपुट क्रेडिट आदि का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा जिससे सप्लाई चेन प्रभावित होगी।

उक्त के दृष्टिगत, आपसे अनुरोध है कि हमें अपने जीएसटीएन विवरण से संबंधित आवश्यक सूचना प्रदान करें। हम अपेक्षित डाटा के लिए यहां एक टेम्पलेट संलग्न कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त विवरण भरकर इसे FI.ERP@airindia.in पर मेल कर दें।

हमें खुशी है कि आप हमारे बिज़नेस के महत्त्वपूर्ण भागीदार हैं और भविष्य में भी हम आपके साथ बिज़नेस संबंध बनाए रखने के इच्छुक हैं।

आपकी भागीदारी, सत्यनिष्ठा तथा प्रोफेशनल नज़रिए के लिए धन्यवाद।

संलग्न :

1. अनुलग्नक 1 - जीएसटी वेंडर डाटा कलेक्शन फार्म